(A) In column (4), for the heading and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"Level in pay ma	ıtrix
(4)	
Level 13 (Rs.1,23,100-2	2,15,900)";

- (B) in column (11), under the sub-heading 'Deputation (including short-term contract)/absorption',-
 - (i) for the letter, figures and words "PB-3, Rs. 15,600-39,100 with Grade pay of Rs. 7600", the words, figures, brackets and letters "Level 12 (Rs. 78,800-2,09,200) in the pay matrix" shall be substituted;
 - (ii) for the letter, figures and words "PB-3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 6600", the words, figures and brackets "Level 11 (Rs. 67,700-2,08,700) in the pay matrix" shall be substituted.

[F.No. A-12018/3/2019-SA]

RAJIV MAHENDRU, Dy. Secy.

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. No.89 (E), dated the 07th February, 2012.

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 मई, 2019

- सा.का.नि. 173.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत मंत्रालय, पुस्तकालय और सूचना सहायक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:
 - 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—
- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत मंत्रालय, पुस्तकालय और सूचना सहायक, समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम 2019 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. विद्युत मंत्रालय, पुस्तकालय और सूचना सहायक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्
- "2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर को इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।"
 - 3. उक्त नियमों के अनुसूची में,-
 - (क) स्तम्भ (4) में, स्तम्भ शीर्षक और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के लिये, निम्नलिखित स्तम्भ शीर्षक और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर	
4	
स्तर-6	
(35400–112400 হ.)";	

- (ख) स्तम्भ- (11) में,-
- (i) संयुक्त रीति (प्रतिनियुक्ति+ प्रोन्नति) उपशीर्षक के अधीन,-
- (क) "वेतन बैण्ड-1, 5200–20200 रु0 + ग्रेड वेतन 1900 रु0" शब्दों और अंकों के स्थान पर "स्तर-2 (19900–63200 रु0)" शब्द, अंक और कोष्टक रखे जायेंगे।
- (ख) टिप्पण का लोप किया जाएगा।
- (ii) प्रतिनियुक्ति उपशीर्षक के अधीन,-
- (क) "वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु0 + ग्रेड वेतन 2800 रु0" शब्दों और अंकों के स्थान पर "स्तर-5 (29200-92300 रु0)" शब्द, अंक और कोष्टक रखे जायेंगे।
- (ख) ''वेतन बैंड-1, 5200–20200 रु0 + ग्रेड वेतन 2400 रु0'' शब्दों और अंकों के स्थान पर ''स्तर-4 (25500– 81100 रु0)'' शब्द, अंक और कोष्टक रखे जायेंगे।
- (ग) "वेतन बैंड-1, 5200–20200 रु0 + ग्रेड वेतन 1900 रु0" शब्दों और अंकों के स्थान पर "स्तर-2 (19900–63200 रु0)" शब्द, अंक और कोष्टक रखे जायेंगे।
- (घ) टिप्पण का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 9/9/2016-प्रशा-II]

हाउसुआनथांग गुईते, अवर सचिव

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा. का. नि. सं. 257 तारीख 18 अक्टूबर, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा. का. नि. सं. 218 तारीख 15 अक्टूबर 2014 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 29th May, 2019

- G.S.R. 173.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Power, Library and Information Assistant, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2012, namely:—
- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Ministry of Power, Library and Information Assistant, Group 'B' Post Recruitment (Amendment) Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Ministry of Power, Library and Information Assistant, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2012 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-
- "2. Number of post, classification and Level in the Pay Matrix. The number of said post, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.".
- 3. In the said rules, in the Schedule, -
- (a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

"Level in the Pay Matrix	
(4)	
Level – 6	
(Rs.35400-112400/-)";	

(b) in column (11), -

- (i) under sub-heading Composite Method (Deputation plus Promotion), -
 - (A) for the words and figures "pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 1900", the words, figures and brackets "Level 2 (Rs.19900-63200)" shall be substituted;
 - (B) the note shall be omitted;
- (ii) under sub-heading Deputation, -
 - (A) for the words and figures "Pay Band-1, Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2800", the words, figures and brackets "Level – 5 (Rs.29200-92300)" shall be substituted;
 - (B) for the words and figures "Pay Band-1, Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2400", the words, figures and brackets "Level 4 (Rs.25500-81100)" shall be substituted;
 - (C) for the words and figures "Pay Band-1, Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 1900", the words, figures and brackets "Level 2 (Rs.19900-63200)" shall be substituted;
 - (D) the note shall be omitted.

[F. No. 9/9/2016-Adm.II]

HAUSUANTHANG GUITE, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 257, dated the 18th October, 2012 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 218, dated the 15th October, 2014.

नई दिल्ली, 30 मई, 2019

सा.का.नि. 174.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत मंत्रालय में सवार हरकारा के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत मंत्रालय, सवार हरकारा (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 2019 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर: उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : भर्ती की पद्धित, आयुसीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।